अपील सूचना अधिकार संख्या 158/2020(2020/00158) जसविन्द्र सिह पुत्र हाकम सिंह जाति रामदासिया निवासी 32 एमओडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 82096-03818) <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>01.02.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसविन्द्र सिंह के अधिवक्ता एवं दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी बैंक द्वारा लिखित कथन दस्तावेज पेश किये है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

प्रार्थी श्री जसविन्द्र सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने आवदेन दिनांक 16.10.2020 को अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें उनके द्वारा आठ बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैक लि., श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने क कारण अपने पत्रांक आरटीआई/166/2020/1043 दिनांक 19.10.2020 को उन्हें स्थानान्तरित कर दिया। प्रबन्ध निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 26.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उक्त बैंक, सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्रधिकारी की परिभाषा में वर्गीकृत एवं उललेखित संस्थान नहीं है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण मूल रूप से वापिस लौटा दिया गया एवं स्वयं के बैंक ऋण खाते की समस्त जानकारी एवं खाते की प्रति आदि प्राप्त करने हेतु बैंक शाखा, सूरतगढ से सम्पर्क कर प्राप्त करने हेतु कहा। उक्त आदेश की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने यह अपील निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष दिनांक 11.12.2020 को पेश की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस मामले में सर्वप्रथम यह तैय किया जाना आवश्यक होगा कि क्या दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर, सूचना का अधिकारी 2005 की धारा 2(एच) की परिभाषा के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं? इसके पश्चात ही गुण दोष पर अपील का निस्तरारण किया जाना उचित होगा।

उक्त बिन्दु पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा दिनांक 15.10.2020 को सूचना का अधिकार के तहत अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के समस्त ऋणीयों की सूची प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 19.10.2020 के क्रम में वरिष्ठ प्रबन्धक, दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा सूरतगढ को सम्पर्क करने हेतु लिख गया। इसके तहत प्रभारी अधिकारी, अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश जारी न करके जानबूझ कर उक्त सूचना उपलब्ध करवाने में अड़चन पैदा करते हुए, सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।

इसके विपरीत दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि का कथन है कि दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति/ सहकारी बैंक है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में वर्गीकृत संस्थान नहीं है।

उनके द्वारा मेरा ध्यान माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर की अपील संख्या 5556/2012 अनवान श्री राधेश्याम गोयल बनाम दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 एवं अपील संख्या 5554/2012 श्री राधेश्याम गोयल बनाम दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 की ओर आकृषित करते हुए कथन

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किया कि उक्त निर्णयों के अनुसार भी दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण उसे सही रूप से वापिस लौटाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील ग्रहण योग्य न होने के कारण खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों द्वारा उक्त दिये गए तर्कों पर मनन किया और प्रार्थी के अपील पत्र एवं अपील पत्र पर प्रबन्धक निदेशक द्वारा दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर की अपील संख्या **5556/2012** अनवान श्री राधेश्याम गोयल बनाम दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 एवं अपील संख्या **5554/2012** श्री राधेश्याम गोयल बनाम दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 एवं अपील संख्या 2020/100540 श्री राधेश्याम गोयल बनाम प्रबन्ध निदेशक, दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो पाया **कि माननीय सूचना आयोग ने उक्त तीनों अपील खारिज करते हुए दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी नहीं माना।**

माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के अपील संख्या 5554/2012 व 5556/2012 एवं 2020/100540 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर में दिनांक 21.08.2014 एवं 20.11.2020 में एक जैसे ही निर्णय पारित किये गये है। फिर भी अपील संख्या 5554/2012 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2014 अविकल रूप से निम्न प्रकार से है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश

अपील संख्या – 5554 / 2012

श्री राधेश्याम गोयल 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर (राज.)	बनाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रबन्ध निदेशक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर (राज.)

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यार्थी पक्ष की ओर से श्री राजकुमार कुश्वाह उपस्थित।
3. मैने प्रत्यार्थी पक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
4. प्रत्यर्थी पक्ष ने अपीलोत्तर दिनांक 02.07.2013 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2012 के पत्र से समस्त सूचना उपलब्ध करा दी गई थी।
5. दिनांक 31.05.2012 के आवेदन के संदर्भ में दिनांक 30.06.2012 के सूचना प्रेषण के उपरान्त आयोग स्तर पर अपील करना स्पष्ट करता है कि **अपीलार्थी का उद्देश्य सूचना लेने से कुछ इतर है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।**
6. यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से ली जा रही है जो कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तलापल्लम सर्विस कॉपरेटिव बैंक विरूद्ध केरल सरकार निर्णय में केन्द्रीय सहकारी बैंक को लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं माना है और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी नहीं है।** ऐसे निर्णय पूर्व में भी आयोग ने किये है जिनमें से एक **निर्णय अनिल कुमार सिसोदिया बनाम सचिव, भूमि विकास बैंक लिमिटेड, अपील संख्या 3409 / 2012 दिनांक 25.11.2013 को उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ।**
7. उपरोक्त विवेचन के आलोक में वर्तमान अपील स्वीकार योग्य नहीं रहती है।
8. अस्तु वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
9. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

—sd—
(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में दी गंगागनर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगागनर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं के क्रम में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त तीनों अपीलें 5554 / 2012, 5556 / 2012 एवं 2020 / 100540 राधेश्याम गोयल बनाम दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर में माननीय आयोग द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 21.08.2014 एवं 20.11.2020 के **परिपेक्ष में उक्त बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है और ऐसी दशा में उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए उक्त बैंक दायित्वबद्ध भी नहीं है। इस आधार पर अपीलार्थी जसविन्द्र सिंह, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से किसी प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को बैंक द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 26.10.2020 विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर